

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक 5353

कुम्भाराम पुत्र काछूराम  
जाति माली निवासी ढूंडा  
कवास तहसील बाड़मेर  
ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 6/9/24

1 जेठाराम पुत्र लाभूराम 2 लिखमाराम पुत्र तेजाराम 3  
चेलाराम पुत्र उतमाराम 4 चेतनराम पुत्र दीपाराम 5  
गोरधनराम पुत्र हिमथाराम 6 जेठाराम पुत्र हरजीराम 7  
लीलाराम पुत्र दीपाराम 8 मोटूराम पुत्र खेताराम जाति  
माली निवासी कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 516/2024

दिनांक- 05/09/24

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा ढूंडा पटवार हल्का कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर  
के खेत खसरा संख्या 1203/427 रकबा 0.5504 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1204/427 रकबा  
1.3112 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1205/395 रकबा 0.1791 हैक्टेयर कुल रकबा 2.0397 हैक्टेयर भूमि  
के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर  
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र  
के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी  
नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान  
की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ  
रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक 6/9/24

क्रमांक :- रीडर/2024/ 5354 to 5357

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी कुम्भाराम पुत्र काछूराम जाति माली निवासी ढूंडा कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण जेठाराम पुत्र लाभूराम वगैराह जाति माली निवासी कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर